(2021) 9 एस. सी. आर. 7

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

बनाम

शाहीना मसारत और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4991/2021)

29 सितंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और संजीव खन्ना, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून- नियुक्ति- प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी- राज्य की रहबर-ए-तालीम (आरई- टी) योजना के तहत आरई- टी (शिक्षण गाइड) के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई- एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज की गई रिट याचिका- खंडपीठ द्वारा अनुमति दी गई अपील- अभिनिर्धारित 35 वर्ष आरई- टी के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा थी- प्रतिवादी संख्या 2 जो निर्धारित अंतिम तिथि पर 35 वर्ष से अधिक हो गई थी, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी- खंडपीठ ने सही ढंग से प्रतिवादी संख्या 1 की आरई- टी के रूप में नियुक्ति का निर्देश दिया- हालांकि, प्रश्न में विज्ञापन आरई- टी के पद पर नियुक्ति से संबंधित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 या प्रतिवादी संख्या 2 को नियुक्त किया जा सकता था- खंडपीठ को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 दोनों की नियुक्ति का निर्देश नहीं देना चाहिए था- प्रतिवादी संख्या 2 को सेवा में जारी रखने का निर्देश को खारिज लिया गया -भारत का संविधान- अनुच्छेद 14, 16।

भारत का संविधान- अनुच्छेद 14,16 - सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति- पात्रता मानदंडों का अनुपालन- अभिनिर्धारित: सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सख्ती से होनी चाहिए- पात्रता मानदंड समान होना चाहिए और अधिकारियों में निहित निरंकुश विवेकाधिकार द्वारा मनमाने ढंग से चयन की गुंजाइश नहीं हो सकती है- सेवा कानून।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ- 'जहाँ तक संभव हो' - निर्देशिका या अनिवार्य- चर्चा की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 आरई- टी के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन में अधिसूचित ऊपरी आयु सीमा 01.01.2002 को 35 वर्ष है, जो उस उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि है जिसने विज्ञापन दिनांक 29.11.2002 के जवाब में आवेदन किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि दूसरी प्रतिवादी की जन्म तिथि 28.12.1965 है और इसलिए, वह 01.01.2002 को 35 वर्ष से अधिक आयु की थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने 2003 के एस.आर.ओ. 30 पर भरोसा किया जिसके द्वारा उच्च आयु सीमा में 01.01.2003 से 31.12.2004 2003 के एस.आर.ओ.30 तक छूट दी गई थी, जिसमें उच्च आयु सीमा में 01.01.2003 से 31.12.2004 तक की छूट दी गई थी, जो उस चयन पर लागू नहीं की जा सकती है जो दिनांक 29.11.2002 के विज्ञापन के जारी होने से शुरू हुआ था। [अनुच्छेद 5] [11-छ-ज; 12-क -ग]

1.2 योजना के साथ-साथ विज्ञापन द्वारा आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में एक शर्त शामिल है कि एक उम्मीदवार 'जहां तक संभव हो' राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु योग्यता को पूरा करेगा। उच्च न्यायालय ने ऊपरी आयु सीमा से संबंधित प्रावधान को अनिवार्य माना। खंडपीठ के निष्कर्ष को मंजूरी दी जाती है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार होनी चाहिए। पात्रता मानदंड समान होना चाहिए और अधिकारियों में निहित अनियंत्रित विवेकाधिकार द्वारा मनमाने ढंग से चयन की गुंजाइश नहीं हो सकती है। निर्देशिका के रूप में ऊपरी आयु सीमा से संबंधित प्रावधान का निर्माण कार्यपालिका को 35 वर्ष से अधिक आयु में छूट देकर अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनने की बेलगाम शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे में इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करना होगा। इसलिए, आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। निर्धारित अंतिम तिथि पर 35 वर्ष को पार करने वाला दूसरा प्रतिवादी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी की आरई-टी के रूप में नियुक्ति का सही निर्देश दिया। [अनुच्छेद 8] [13-क -च]

1.3 योजना का विस्तार से उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सरकार आरई-टी को नियमित करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील दे सकती है। योजना को बंद कर दिया गया और योजना के तहत नियुक्त आरई- टी को सामान्य श्रेणी शिक्षकों के रूप में अवशोषित करने पर विचार किया गया। यहां तक कि अगर एक आरई-

टी शिक्षक की उम्र अधिक थी, तो भी वह उम्र में छूट देकर सरकार में औपचारिक नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 2 विचाराधीन विज्ञापन आरई-टी के पद पर नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें या तो प्रतिवादी संख्या 1 या प्रतिवादी संख्या। 2 नियुक्त किए जा सकते थे। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या दोनों की नियुक्ति का निर्देश नहीं देना चाहिए था। एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने के पश्चात्, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की। प्रतिवादी संख्या 2 को जारी रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 2004 से सेवा करना जारी रखा है। इसलिए, अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे किसी अन्य रिक्ति में समायोजित करे। वह अपनी नियुक्ति की तारीख से पहले अपनी सेवाओं के लिए पहले से ही भुगतान किए गए वेतन और अन्य भत्तों के अलावा किसी भी लाभ की हकदार नहीं होगी। [अनुच्छेद 9,10] [13-च-ज; 14-क-ख]

इरिडियम इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बनाम मोटोरोला प्रभारी **(2005) 2 एससीसी 145: [2005] 1 एससीआर 73 - संदर्भित।**

माणिकचंद दुर्गाप्रसाद बनाम प्रतापमुल रामेश्वर **ए.आई.आर. 1961 कैल 483 - संदर्भित।**

<u>उद्धृत निर्णयजन्य विधि</u>

[2005] 1 एस. सी. आर. 73 अनुच्छेद 6 को संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2012 की सिविल अपील संख्या. 4991/2012

जम्मू स्थित जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के 13.04.2010 के निर्णय और आदेश से, एलपीए एसडब्ल्यू संख्या 168/2008 में।
सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, पार्थ अवस्थी, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।
सुश्री मंजुला गुप्ता, सुश्री निधि, सुश्री सुवर्णा एस. गानू, जयदीप पति, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव द्वारा,

1. सामुदायिक भागीदारी और भागीदारी के साथ प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन को बढ़ावा देने और विकेंद्रीकृत करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा 28.04.2000 को रहबर-ए-तालीम (आरई- टी) योजना शुरू की गई थी। योजना का आगे का उद्देश्य समुदाय के माध्यम से एक मजबूत समर्थन और पर्यवेक्षण के माध्यम से जवाबदेही और प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करना था। योजना के अनुसार, मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण गाइड (जिसे इसके बाद 'आरई -टी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नियुक्त किए जाने थे। 29.11.2002 को दैनिक समाचार पत्र आफताब में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। योजना और विज्ञापन के अनुसार, आरई-टी के रूप में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवार को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उस गाँव का होना चाहिए जहाँ कर्मचारियों की कमी का आकलन किया गया था। उसके पास 10+2 की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और उम्मीदवार को 'जहां तक संभव हो' राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु योग्यता को पूरा करना चाहिए। बुंदूक खार मोहल्ला रैनावारी में प्राथमिक विद्यालय के लिए योजना के तहत चयन आयोजित किया गया था जिसमें 11 उम्मीदवारों ने अधिसूचना दिनांक 29.11.2002 के अनुसार आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या 2 को आरई- टी के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 103 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 2003 के आदेश संख्या 12- डीडीसी दिनांक 14.05.2003 को निरस्त करने के लिए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 08.09.2008 के निर्णय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, प्रथम प्रतिवादी ने एक अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 1 को निर्णय की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पुनः आरई-टी के रूप में बहाल करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने आगे प्रतिवादी संख्या 2 को भी सेवा में जारी रहने का आदेश दिया। जम्मू और कश्मीर राज्य ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित इस निर्णय और दिनांक 13.4.2010 के अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य (अपीलार्थी) की मुख्य शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 शिक्षक के एक पद के लिए इच्छुक थे और उच्च न्यायालय दोनों प्रतिवादियों की नियुक्ति का निर्देश नहीं दे सकता था। प्रथम प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि दूसरे प्रतिवादी ने 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को पार कर लिया था और वह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र नहीं था। प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2003 का एस.आर.ओ. 30, जिसने शिक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी थी, तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 2 ऊपरी आयु सीमा से संबंधित शर्त की गलत व्याख्या पर आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के रूप में आदेश दिया।

3. प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति विज्ञापन के संदर्भ में थी और 2003 के एस.आर.ओ. 30 के अनुसार अधिकतम आयु में ढील दी गई थी जो सभी चयनों पर लागू होती है। प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उन्हें 17.05.2003 को नियुक्त किया गया था और वह तब से जारी है। चूंकि मई 2008 से उसके पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ने उपयुक्त निर्देशों के लिए इस न्यायालय में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया। अपील की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को उसका वेतन दिया गया है। इसका प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 2 कि 'जहां तक संभव हो' शब्द निर्देशिका हैं और अधिकारियों के पास अधिकतम आयु में 35 वर्ष से अधिक की छूट देने की शक्ति थी। किसी भी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 2, इस स्तर पर उनकी नियुक्ति को बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पहले ही 18 साल से सेवा कर चुकी हैं।

4. केंद्र सरकार ने कमियों वाले क्षेत्रों में अधिक शिक्षक उपलब्ध कराकर साक्षरता में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना शुरू की। एसएसए योजना को प्रभावी बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आरई- टी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को ग्राम स्तरीय समिति का संयोजक नामित किया गया था। ग्राम स्तरीय समिति को आरई- टी के रूप में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के बाद एक पैनल तैयार करना होता है। स्कूल शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के साथ उपायुक्त चयन को अंतिम रूप देंगे। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को नियुक्ति पत्र जारी

करने होंगे। योजना के अनुसार, आरई-टी को शुरू में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उसकी सेवाओं को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में सामान्य श्रेणी शिक्षक के रूप में आरई-टी के अवशोषण का प्रावधान है। शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में ग्राम स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आरई-टी का अवशोषण किया जाता है।

5. आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन में अधिसूचित ऊपरी आयु सीमा 01.01.2002 को 35 वर्ष है, जो उस उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि है जिसने विज्ञापन दिनांक 29.11.2002 के जवाब में आवेदन किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि दूसरी प्रतिवादी की जन्म तिथि 28.12.1965 है और इसलिए, वह 01.01.2002 को 35 वर्ष से अधिक थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने 2003 के एस.आर.ओ. 30 पर भरोसा किया जिसके द्वारा ऊपरी आयु सीमा में 01.01.2003 से 31.12.2004 तक छूट दी गई थी। इसके बाद, जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा नियम 1956 के नियम 17 में संशोधन किया गया और ऊपरी आयु सीमा को 01.01.2003 से 31.12.2004 तक शिथिल कर दिया गया। चूंकि दूसरा प्रतिवादी 01.01.2002 को 37 वर्ष से कम आयु का था, इसलिए विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वह आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के योग्य थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 2 2003 के एस.आर.ओ. 30 का लाभ लेने की हकदार नहीं थी क्योंकि उसने 01.01.2003 को 37 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी। हम खंडपीठ से सहमत हैं। 01.01.2003 से 31.12.2004 तक ऊपरी आयु सीमा में छूट देने वाले 2003 के एस.आर.ओ 30 को उस चयन पर लागू नहीं किया जा सकता है जो दिनांक 29.11.2002 के विज्ञापन के जारी होने से शुरू हुआ था।

6. आरई-टी योजना में यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार 'जहां तक संभव हो' राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करेगा। दिनांक 29.11.2002 के विज्ञापन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड यह है कि एक उम्मीदवार 'जहां तक संभव हो' राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु योग्यता को पूरा करेगा, वह है,उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने **इरिडियम इंडियन टेली कम्युनिकेशन बनाम मोटोरोला प्रभारी**[1] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए योजना के साथ-साथ ऊपरी आयु सीमा के संबंध में विज्ञापन में दिखाई देने वाले 'जहां तक संभव हो' शब्दों

की व्याख्या निर्देशिका के रूप में की, जबकि खंडपीठ की राय थी कि **इरिडियम इंडियन टेली-कम्युनिकेशन** (उपर्युक्त) में इस न्यायालय का निर्णय इस तथ्य पर लागू नहीं होता है।

7. **इरिडियम इंडियन टेली-कम्यूनिकेशन** (उपर्युक्त) में यह न्यायालय लेटर्स पेटेंट के खंड 37 की व्याख्या से संबंधित था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस खंड के तहत नियम और आदेश बनाने में, उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा **"जहां तक संभव हो"** निर्देशित किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने **माणिकचंद दुर्गाप्रसाद बनाम प्रतापमुल रामेश्वर**[2] मामले में लेटर्स पेटेंट के खंड 37 के दायरे पर विचार किया और कहा कि यदि कोई विसंगति है तो खंड 37 के तहत बनाए गए नियम सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधानों पर प्रबल होंगे। **इरिडियम इंडियन टेली-कम्यूनिकेशन** (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने **मणिकचंद दुर्गाप्रसाद** (उपर्युक्त) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण को, जहां तक वह लेटर्स पेटेंट के खंड 37 में 'जहां तक संभव हो' शब्दों की व्याख्या से संबंधित है, यह अभिनिर्धारित करते हुए बरकरार रखा कि 'जहां तक संभव हो' शब्द केवल निर्देशिका हैं।

8. जैसा कि ऊपर कहा गया है, योजना के साथ-साथ विज्ञापन द्वारा आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में एक शर्त शामिल है कि एक उम्मीदवार 'जहां तक संभव हो' राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु योग्यता को पूरा करेगा। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आरई-टी के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। खंडपीठ ने योजना की जांच की और पाया कि कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं है और यदि ऊपरी आयु सीमा के लिए 'जहां तक संभव हो' शब्दों को निर्देशिका के रूप में व्याख्या की जाती है, तो अधिकारियों को 45 वर्ष से अधिक आयु के बाद भी उम्मीदवारों का चयन करने का विवेकाधिकार होगा। इसके अलावा, खंडपीठ की राय थी कि राज्य में आरई- टी के चयन में कोई एकरूपता नहीं होगी। इस योजना को असंवैधानिक करार दिया जाएगा क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने ऊपरी आयु सीमा से संबंधित प्रावधान को अनिवार्य माना। हम खंडपीठ के निष्कर्ष को मंजूरी देते हैं। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार होनी चाहिए। पात्रता मानदंड समान होना चाहिए और अधिकारियों में निहित अनियंत्रित विवेकाधिकार द्वारा मनमाने ढंग से चयन की गुंजाइश नहीं हो सकती है। निर्देशिका के रूप में ऊपरी आयु सीमा से संबंधित प्रावधान का निर्माण कार्यपालिका को 35 वर्ष से अधिक आयु में छूट देकर अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनने की बेलगाम शक्ति

प्रदान करेगा। ऐसे में इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करना होगा। इसलिए, हमारी राय है कि आरई- टी के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। दूसरा प्रतिवादी , जिसने निर्धारित अंतिम तिथि पर 35 वर्ष पार कर लिए हैं, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी की आरई-टी के रूप में नियुक्ति का सही निर्देश दिया है।

9. अब, जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है, वह प्रतिवादी संख्या 2 का सेवा मे लगातार बने रहना, योजना का विस्तार से उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सरकार आरई- टी को नियमित करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील दे सकती है। योजना को बंद कर दिया गया और योजना के तहत नियुक्त आरई- टी को सामान्य श्रेणी शिक्षकों के रूप में अवशोषित करने पर विचार किया गया। यहां तक कि अगर एक आरई- टी शिक्षक की उम्र अधिक थी, तो भी वह उम्र में छूट देकर सरकार में औपचारिक नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 2 का सेवा मे लगातार बने रहना का आदेश दिया।

10. विचाराधीन विज्ञापन आरई-टी के पद पर नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें या तो प्रतिवादी संख्या 1 या प्रतिवादी संख्या। 2 नियुक्त किए जा सकते थे। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या दोनों की नियुक्ति का निर्देश नहीं देना चाहिए था। विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने के पश्चात्, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की। प्रतिवादी संख्या 2 को जारी रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 2004 से काम करना जारी रखा है। इसलिए, अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे किसी अन्य रिक्ति में समायोजित करे। वह अपनी नियुक्ति की तारीख से पहले अपनी सेवाओं के लिए पहले से ही भुगतान किए गए वेतन और अन्य भत्तों के अलावा किसी भी लाभ की हकदार नहीं होगी।

11. अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।

दिव्या पांडे   अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद (पैनल अनुवादक) मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।